

2001/1097

570

स्रण्ड पीठ

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

श्री राजेन्द्र सिंह कविया


22/5/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी को बार-बार रुक  
रुककर आवाज लगवायी गयी। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। जिसके तहत  
पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल  
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

( राजेन्द्र सिंह कविया )

सदस्य

  
(मदनलाल नेहरा)

सदस्य